CHINMAYA DEGREE COLLEGE

BHEL, HARIDWAR

Criterion II

Teaching- Learning and Evaluation

2.1 Student Enrolment and Profile

2.1.2 Percentage of seats filled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc. as per applicable reservation policy during the last five Years (Exclusive of supernumerary seats)

Documents Attached

Sr. No.	Document Name
1.	Reservation policy (SC, ST and OBC) G.O
2.	College Apply Govt. Reservation Policy

UGC Official Letter of Reservation

2.1.2

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली – 110 002
Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002
Phone : 011-23406308, 011-23406309

सत्यमेव जयते

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

By Speed Post

3 JUN 2016

F.No.59-6/2012 (CU) 3rd June, 2016

The Registrar
All Central Universities (40)

Subject : Implementation of Reservation Policy in admission and appointment.

Sir,

In continuation to this office letter No.F.21-2/2015 (CU) dated 23.03.2016 (copy enclosed) regarding the policy of reservation in admissions and appointments, I am directed to inform you to implement the reservation policy in admissions and appointments as under :-

(i) University may follow the reservation policy in admissions in all courses as per provisions contained in the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006 (Gazette notification dated 04.01.2007) and as amended in 2012 (Gazette notification dated 20.06.2012). A copy of each of the CEI Act 2006 and Amendment Act, 2012 is enclosed for ready reference.

(ii) For reservation policy in appointments of Non-Teaching staff, university may follow the quantum of reservation in Group 'C' and erstwhile Group 'D' posts as per instructions issued by DoPT Order No.36011/6/2010-Estt.(Res.) dated 25th June, 2010 (copy enclosed). For reservation in Group 'A' and Group 'B' posts, the reservation for SC is 15%, for ST is 7.5% and for OBC, reservation in direct recruitment is 27%.

(iii) In teaching positions, reservation for SC is 15% and for ST is 7.5% at all three levels i.e. Professor, Associate Professor and Assistant Professor. However, 27% OBC reservation in teaching positions is applicable at the level of Assistant Professor only.

Yours faithfully,

Encl: As above

(K.P. Singh)
Joint Secretary

Copy to :

(i) Dr. Sukhbir Singh Sandhu, IAS, Joint Secretary (CU &L), Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 115.

(ii) PO (Website)

College applied reservation policy

प्रवेश नियम (सत्र 2022–2023)

1. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये प्रत्येक महाविद्यालय/संकाय में सम्बन्धित प्राचार्य/संकायाध्यक्ष प्रवेश समितियों का गठन करेंगे, जोकि अलग–अलग संकायों में प्रवेश से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व पूर्ण करेंगे। तत्सम्बन्धित संकायों में प्रवेश के लिये उक्त समिति और प्राचार्य/संकायाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। समितियों के विधिवत् गठन की सूचना प्राचार्य/संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय को भी प्रेषित करेंगे। प्रवेश समितियों द्वारा आवंटित विषयों में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। प्रवेश का दायित्व प्राचार्य/संकायाध्यक्ष का होगा।

2.(a) स्नातक स्तर (बी.एस.सी.) में छात्र उसी संवर्ग (विषय समूह) में प्रवेश ले सकेंगे जिसका अध्ययन उन्होंने अर्हकारी परीक्षा में किया हो। उस प्रतिबन्ध का आशय यह है कि जिन छात्र–छात्राओं ने 10+2 स्तर पर गणित संवर्ग (भौतिक, रसायन एवं गणित) विषयों का अध्ययन किया हो वह गणित संवर्ग तथा जिन छात्र–छात्राओं ने जीव विज्ञान संवर्ग (रसायन, वनस्पति एवं जन्तु विज्ञान) का अध्ययन किया हो वह जीव विज्ञान संवर्ग में ही प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(b) स्नातकोत्तर स्तर पर केवल उन्हीं छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा जिन्होंने स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का अध्ययन किया हो, परन्तु ऐसे विशिष्ट पाठ्यक्रमों (जैसे माइक्रोबॉयोलॉजी, बॉयोटेक एवं कम्प्यूटर विज्ञान) में जिनमें मूल विषय का शिक्षण स्नातक स्तर पर नहीं होता है वे छात्र–छात्राऐं आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने निम्मानुसार उल्लिखित विषयों का अध्ययन किया हो–

(i) कम्प्यूटर विज्ञान में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर गणित संवर्ग (भौतिक, रसायन/कम्प्यूटर एवं गणित) में अध्ययन आवश्यक हैं।

(ii) माइक्रोबॉयोलॉजी एवं बॉयोटेक में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर जीव विज्ञान संवर्ग (रसायन, वनस्पति एवं जन्तु विज्ञान) में अध्ययन आवश्यक है।

3. स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये इंटरमीडिएट या समकक्षीय परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।

4. आवेदक स्वयं आवेदन पत्र जमा करें तथा कार्यालय से प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।

5. चरित्र प्रमाण–पत्र संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व संस्था के प्रधानाचार्य का तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी, लोकसभा/विधानसभा/विधान परिषद् के सदस्य अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य/नियन्ता की मूल प्रति संलग्न करें।

6. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण इस प्रकार है अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, तथा अन्य पिछड़े वर्ग 27%। इसके अतिरिक्त उपरोक्त में प्रत्येक श्रेणी में क्षैतिज आरक्षण इस प्रकार है– महिलाएं 30%, भूतपूर्व सैनिक या उन पर आश्रित 5%, दिव्यांग 3%, तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित 2%। **अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को अपने माता–पिता का पूर्व वित्तीय वर्ष का गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**

7. प्रवेशार्थी को महाविद्यालय के सूचना पट पर प्रवेश सम्बन्धी सूचनायें देखते रहना चाहिये।

8. प्रवेश के पूर्व ही स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) जमा करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को एक माह के अन्दर प्रवजन प्रमाण–पत्र (माइग्रेशन) जमा करा देना चाहिये। अन्यथा अस्थाई प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

9. अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को किसी भी कक्षा एवं संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इस विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र भूतपूर्व/व्यक्तिगत छात्र के रूप में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष के छात्र को अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर व अन्य वैध कारण के केवल एक बार संकाय बदल कर प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र को स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र/प्रवजन प्रमाण–पत्र एवं चरित्र–प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर छह वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर चार वर्ष की अवधि तक के लिये ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी, जिसमें एक वर्ष के गैप भी सम्मिलित रहेगा। (यह नियम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा)। केवल वे ही छात्र भूतपूर्व छात्र का लाभ ले सकेंगे जिन्होंने पूरे सत्र का अध्ययन किया हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक दिया गया हो और वह चिकित्सा के आधार पर आवेदन करता हो। ड्रापर विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण माना जायेगा। ड्रापर को संस्थागत छात्र के रूप में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ड्रापर की परिभाषा, किसी छात्र ने यदि प्रवेश आवेदन पत्र भरने के पश्चात प्रवेश ले लिया हो, होगी।